FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** BHIWANI **P.S. (थाना):** BHIWANI SADAR **Year (वर्ष):** 2026

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0462 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 05/09/2026 23:11 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	406
3	IPC 1860	420
4	IPC 1860	506

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 03/10/2022 **Date To (दिनांक तक):** 06/02/2024

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:05 hrs **Time To (समय तक):** 21:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 05/09/2026 **Time (समय):** 22:25 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 044 **Date and Time (दिनांक और समय):** 05/09/2026 22:57 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** NORTH, 15 Km (s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): चांग बीट नं 9,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** रोहताश

(b) **Father's Name (पिताका नाम):** रामकुमार

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1981 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	238, पार्ट 6, सैक्टर 5, GURUGRAM, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	238, पार्ट 6, सैक्टर 5, GURUGRAM, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9810535668

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	राजकुमार जांगडा		Father's Name: रामचन्द्र जांगडा	1. सैक्टर 23,BHIWANI,HARYANA,INDIA
2	अनीता जांगडा		Husband's Name: राजकुमार जांगडा	1. सैक्टर 23,BHIWANI,HARYANA,INDIA
3	युवराज जांगडा		Father's Name: राजकुमार जांगडा	1. सैक्टर 23,BHIWANI,HARYANA,INDIA
4	जितेन्द्र साहरण		Father's Name: रघुबीर सिंह	1. लाईशम स्कुल महम,ROHTAK,HARYANA,INDIA
5	स्नेहलता		Husband's Name: जितेन्द्र	1. लाईशम स्कुल महम,ROHTAK,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
1	COIN AND CURRENCY	INDIAN RUPEE	आरोपीयान उक्त द्वारा षडयंत्र रचकर योजनाबन्द तरीके से रक्बा गांव चांग में भुमि क्रय करने का सौदा तय करके धोखाधडी से ₹3,43,50,000/ रूपये हड़पने बारे वा पैसे वापिस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने बारे	3,43,50,000.00

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 3,43,50,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल दरखास्त जैल है सेवा में,श्रीमान पुलिस महानिदेशक (DGP) महोदय, हरियाणा पुलिस मुख्यालय, पंचकूला, हरियाणा। विषय: श्री राजकुमार जांगड़ा, श्रीमती अनीता जांगड़ा, श्री युवराज जांगड़ा, श्री जितेन्द्र सहारण एवं श्रीमती स्नेहलता द्वारा आपराधिक षड्यंत्र रचकर, प्रॉपर्टी/निवेश के सौदे के छद्म आश्वासन के आधार पर छलपूर्वक कुल ₹3,43,50,000/- (रुपये तीन करोड़ तिरतालीस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि हड़पने, प्रार्थी के धन से क्रय भूमि को बेनामी रूप से अपने परिवार सदस्य के नाम करवाने, धनराशि वापस मांगे जाने पर जान से मारने की धमकी देने एवं आपराधिक न्यास भंग किए जाने के संबंध में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अविलंब प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराए जाने, अथवा इस शिकायत को श्रीमान पुलिस अधीक्षक, जिला भिवानी के पास कार्यवाही हेतु निर्देशों सहित सन्दर्भित किए जाने का सविनय अनुरोध। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं, रोहताश कुमार पुत्र श्री राम कुमार, निवासी मकान संख्या 238, सेक्टर-5, पार्ट-6, गुरुग्राम, हरियाणा-122001 (मोबाइल: 91 98105 35668), आपके समक्ष निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर यह विधिवत शिकायत प्रस्तुत करता हूँ कि नीचे नामित सभी आरोपीगण ने पूर्व-नियोजित एवं सुसंगत आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत, संयुक्त रूप से एवं एक-दूसरे के प्रत्यक्ष सहयोग से, मेरे साथ धोखाधडी करते हुए मुझसे कुल ₹3,43,50,000/- (तीन करोड़ तिरतालीस लाख पचास हजार रुपये मात्र) की धनराशि छलपूर्वक प्राप्त की, जिसे वापस करने से वे अब स्पष्ट रूप से इनकार कर रहे हैं तथा मुझे व मेरे परिवार को जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। आरोपीगण का विवरण:1. राजकुमार जांगड़ा पुत्र रामचन्द्र, निवासी हाउस नं. 652, सेक्टर-23, भिवानी (मो. 8307887471, 9416616166) 2. अनीता जांगड़ा (पत्नी राजकुमार जांगड़ा), मो. 7988180330 3. युवराज जांगड़ा (पुत्र राजकुमार जांगड़ा), मो. 8950723276 4. जितेन्द्र सहारण पुत्र श्री रघुबीर सिंह, निवासी मकान नं. 121/2, निकट लाइशम स्कूल, महम, तहसील महम, जिला रोहतक, हरियाणा-124112 (मो. 9812894000) 5. श्रीमती स्नेहलता पत्नी जितेन्द्र सहारण, निवासी मकान नं. 121/2, निकट लाइशम स्कूल, महम, तहसील महम, जिला रोहतक, हरियाणा-124112 तथ्यात्मक विवरण / घटनाक्रम 1. आरोपी राजकुमार जांगड़ा एवं आरोपी जितेन्द्र सहारण दोनों प्रॉपर्टी डीलिंग के व्यवसाय से जुडे हैं तथा दोनों का आपस में तथा प्रार्थी से लंबे समय से घनिष्ठ परिचय रहा है। दोनों आरोपीगण ने संयुक्त रूप से, एक सुनियोजित रणनीति के तहत, प्रार्थी को यह मिथ्या विश्वास दिलाया कि महम, भिवानी एवं आस-पास के क्षेत्र में उनका बड़ा प्रॉपर्टी कारोबार है और वे बड़े स्तर के सौदे संपन्न कराते हैं। इस मिथ्या प्रतिनिधित्व (misrepresentation) के आधार पर उन्होंने प्रार्थी को प्रॉपर्टी के कार्य/सौदे में धन निवेश हेतु प्रेरित किया। 2. आरोपी अनीता जांगड़ा एवं युवराज जांगड़ा को इस संपूर्ण लेन-देन, प्राप्त धनराशि तथा उसके वास्तविक उद्देश्य की संपूर्ण जानकारी प्रारंभ से थी। इन सभी ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से आरोपी राजकुमार जांगड़ा एवं जितेन्द्र सहारण को इस कृत्य में सहयोग एवं समर्थन प्रदान किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि

सभी आरोपीगण एक ही सामान्य आशय (common intention) से युक्त होकर इस षड्यंत्र में सम्मिलित थे। (अ) RTGS के माध्यम से राजकुमार जांगड़ा को हस्तांतरित राशि – कुल ₹74,50,000/- क्र.सं. दिनांक राशि माध्यम 1 04.05.2023 ₹12,00,000/- RTGS 2 12.05.2023 ₹40,00,000/- RTGS 3 05.12.2023 ₹8,50,000/- RTGS 4 06.02.2024 ₹14,00,000/- RTGS उपरोक्त समस्त भुगतानों का बैंक रिकॉर्ड, स्टेटमेंट एवं RTGS विवरण प्रार्थी के पास उपलब्ध है, जिन्हें अनुबंध (Annexure) के रूप में संलग्न किया जा रहा है। (ब) RTGS के माध्यम से जितेन्द्र सहारण को हस्तांतरित राशि – कुल ₹1,20,00,000/- क्र.सं. दिनांक राशि माध्यम 1 03.05.2023 ₹20,00,000/- RTGS 2 12.05.2023 ₹1,00,00,000/- RTGS इन भुगतानों का बैंक रिकॉर्ड भी प्रार्थी के पास उपलब्ध है तथा अनुबंध के रूप में संलग्न है। (स) नकद भुगतान – कुल ₹1,49,00,000/- आरोपी राजकुमार जांगड़ा एवं जितेन्द्र सहारण ने संयुक्त रूप से षड्यंत्रपूर्वक प्रार्थी को यह सूचित किया कि उन्होंने गाँव चांग, जिला भिवानी में भूमि क्रय करने का सौदा तय कर लिया है तथा उक्त भूमि की खरीद हेतु अस्थायी रूप से धनराशि की आवश्यकता है, और यह आश्वासन दिया कि उक्त भूमि के आगे विक्रय होते ही सम्पूर्ण राशि तुरंत लौटा दी जाएगी। इसी आश्वासन एवं विश्वास पर प्रार्थी ने ₹90,00,000/- (नब्बे लाख रुपये मात्र) नकद राजकुमार जांगड़ा को उसके पूर्व निवास स्थान हाउस नं. 557, सेक्टर-23, भिवानी, पिन-127021 पर विभिन्न तिथियों पर प्रदान किए। शेष राशि ₹59,00,000/- (उनसठ लाख रुपये मात्र) भी इसी क्रम में समय-समय पर नकद रूप में आरोपीगण को/उनके बताए गए स्थानों पर प्रदान की गई। इस प्रकार नकद माध्यम से कुल ₹1,49,00,000/- (एक करोड़ उनचास लाख रुपये मात्र) आरोपीगण को प्रदान किए गए, जिसकी जानकारी अनीता जांगड़ा, युवराज जांगड़ा को भी पूर्णतः थी। 3. उपरोक्त धनराशि के संबंध में प्रार्थी द्वारा राशि वापिस मांगने पर आरोपियों द्वारा उक्त भूमि (35 किल्ला कुल) में से 20 किल्ला ज़मीन प्रार्थी को देने का वायदा किया। आरोपीगण ने प्रार्थी के साथ एक इकरारनामा (एग्रीमेंट) भी निष्पादित किया था, जिसमें आरोपीगण द्वारा प्रार्थी को कुल 20 किल्ला भूमि, ₹17,15,000/- (सत्रह लाख पन्द्रह हजार रुपये मात्र) प्रति किल्ला की दर से, कुल ₹3,43,00,000/- (तीन करोड़ तिरतालीस लाख रुपये मात्र) में उपलब्ध कराए जाने/हस्तांतरित किए जाने का स्पष्ट वायदा किया गया था। उल्लेखनीय है कि उक्त इकरारनामे के अनुसार निर्धारित कुल राशि ₹3,43,00,000/- प्रार्थी से आरोपीगण द्वारा वास्तव में प्राप्त की गई कुल राशि ₹3,43,50,000/- के लगभग पूर्णतः समान है, जिससे यह असंदिग्ध रूप से सिद्ध होता है कि प्रार्थी से प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि विशेष रूप से उक्त 20 किल्ला भूमि के प्रतिफल स्वरूप ही प्राप्त की गई थी, न कि किसी अन्य प्रयोजन हेतु। तत्पश्चात् आरोपीगण ने प्रार्थी को उनके पूर्व निवास स्थान हाउस नं. 557, सेक्टर-23, भिवानी पर बुलाया तथा विभिन्न बहानों के अंतर्गत प्रार्थी से उक्त इकरारनामे की मूल प्रति वापस ले ली। प्रार्थी ने आरोपीगण पर पूर्ण विश्वास करते हुए, सद्भावनापूर्वक, उक्त दस्तावेज उन्हें सौंप दिया। आरोपीगण का यह कृत्य स्पष्ट रूप से जानबूझकर एवं षड्यंत्रपूर्वक किया गया था, जिसका उद्देश्य प्रार्थी के पक्ष में उपलब्ध एकमात्र लिखित/दस्तावेज़ी साक्ष्य को नष्ट/लुप्त करना तथा भविष्य में प्रार्थी को अपने वैधानिक दावे से वंचित करना था। आज तक आरोपीगण ने न तो उक्त 20 किल्ला भूमि प्रार्थी के नाम हस्तांतरित/रजिस्टर्ड कराई और न ही प्राप्त धनराशि वापस लौटाई। 4. उल्लेखनीय है कि आरोपीगण ने उपरोक्त 20 किल्ला भूमि, जिसके संबंध में प्रार्थी से इकरारनामा किया गया था तथा जिसके प्रतिफल स्वरूप प्रार्थी से करोड़ों रुपये की राशि प्राप्त की गई थी, को धोखाधड़ीपूर्वक एवं प्रार्थी की जानकारी के बिना आरोपी जितेन्द्र सहारण की पत्नी श्रीमती स्नेहलता के नाम करवा लिया, जबकि उक्त भूमि का संपूर्ण प्रतिफल (consideration) प्रार्थी द्वारा ही अदा किया गया था। यह कृत्य आरोपीगण की प्रारंभ से ही बेईमानी की नीयत को असंदिग्ध रूप से सिद्ध करता है, चूंकि उन्होंने कभी भी प्रार्थी के नाम भूमि हस्तांतरित करने का वास्तविक इरादा नहीं रखा तथा प्रार्थी के धन से क्रय की गई भूमि को अपने ही परिवार के सदस्य के नाम स्थानांतरित करवा कर हड़प लिया। इसके अतिरिक्त, आरोपीगण ने उक्त भूमि की रजिस्ट्री/हस्तांतरण के बहाने अतिरिक्त खर्च के नाम पर प्रार्थी से ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) भी अलग से वसूल किए, जो उपरोक्त वर्णित कुल राशि ₹3,43,50,000/- के अंतर्गत ही सम्मिलित हैं। 5. इस प्रकार RTGS एवं नकद, दोनों माध्यमों से आरोपीगण द्वारा प्रार्थी से कुल ₹3,43,50,000/- (तीन करोड़ तिरतालीस लाख पचास हजार रुपये मात्र) की धनराशि छलपूर्वक प्राप्त की गई, जो कि आरोपीगण द्वारा प्रारंभ से ही बेईमानी की नीयत (dishonest intention) से, प्रॉपर्टी में निवेश के मिथ्या बहाने के अंतर्गत, हड़पी गई। धनराशि किसी सुनिश्चित प्रयोजन (भूमि क्रय) हेतु न्यासित (entrusted) की गई थी, किंतु आरोपीगण ने उसका दुरुपयोग करते हुए भूमि अपने ही परिवार के सदस्य के नाम करवाकर एवं शेष राशि का निजी लाभ हेतु प्रयोग कर, आपराधिक न्यास भंग (criminal breach of trust) भी कारित किया है। इसके अतिरिक्त, इकरारनामे की मूल प्रति को छल-बल से वापस लेने का कृत्य साक्ष्य को जानबूझकर लुप्त/नष्ट किए जाने (causing evidence to disappear) की श्रेणी में भी आता है। 6. जब प्रार्थी को संदेह हुआ

कि आरोपीगण द्वारा प्राप्त धनराशि का किसी वास्तविक प्रॉपर्टी सौदे में निवेश नहीं किया जा रहा है एवं धनराशि का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो प्रार्थी ने अपनी धनराशि वापस मांगी। इस पर आरोपी राजकुमार जांगड़ा, जितेन्द्र सहारण एवं अन्य सह-आरोपीगण ने निरंतर टालमटोल की, मिथ्या आश्वासन दिए और अंततः धनराशि लौटाने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, आरोपीगण ने प्रार्थी एवं उसके परिवार को फोन के माध्यम से जान से मारने की गंभीर धमकियाँ दी हैं, जिससे प्रार्थी एवं उसके परिवार का जीवन निरंतर खतरे में है। 7. प्रार्थी के पास इस संपूर्ण प्रकरण से संबंधित बैंक रिकॉर्ड, RTGS विवरण, कॉल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट, संदेश एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य उपलब्ध हैं, जो आरोपीगण की संलिप्तता, षड्यंत्र एवं धमकियों को पूर्णतः सिद्ध करते हैं तथा जांच अधिकारी को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराए जा सकते हैं। 8. समस्त आरोपीगण जिला भिवानी एवं जिला रोहतक के निवासी हैं, नकद राशि का भुगतान भी भिवानी स्थित आरोपी राजकुमार जांगड़ा के निवास स्थान पर किया गया है, तथा घटना से संबंधित कार्यक्षेत्र (territorial jurisdiction) भी जिला भिवानी में आता है। अतः यह प्रकरण जिला भिवानी पुलिस के अधिकार क्षेत्र में विवेचनीय है। प्रयोज्य विधिक प्रावधान (भारतीय न्याय संहिता, 2023) धारा 318(4) BNS – छल करना तथा बेईमानी से संपत्ति परिदान कराना (Cheating and dishonestly inducing delivery of property), जिसके अंतर्गत आरोपीगण ने मिथ्या प्रतिनिधित्व एवं आश्वासन देकर प्रार्थी से करोड़ों रुपये की धनराशि प्राप्त की धारा 316(2)/(3) BNS – आपराधिक न्यास भंग (Criminal breach of trust), चूंकि धनराशि विशिष्ट प्रयोजन (भूमि क्रय) हेतु न्यासित की गई थी किंतु आरोपीगण ने उसका दुरुपयोग किया धारा 61(1) BNS – आपराधिक षड्यंत्र (Criminal conspiracy), चूंकि समस्त आरोपीगण ने संयुक्त एवं सुनियोजित रूप से इस कृत्य को अंजाम दिया धारा 3(5) BNS – सामान्य आशय (Common intention), चूंकि सभी सह-आरोपीगण को कृत्य की जानकारी थी तथा सभी ने प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहयोग दिया धारा 351(2)/(3) BNS – आपराधिक अभित्रास/जान से मारने की धमकी (Criminal intimidation, including threat to cause death), चूंकि धनराशि वापस मांगे जाने पर आरोपीगण ने प्रार्थी एवं उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी धारा 238 BNS – साक्ष्य को लुप्त/नष्ट करना (Causing disappearance of evidence), चूंकि आरोपीगण ने इकरारनामे की मूल प्रति को छल-बल से प्रार्थी से वापस लेकर उसके पक्ष में उपलब्ध दस्तावेज़ी साक्ष्य को नष्ट/लुप्त करने का प्रयास किया बेनामी संपत्ति लेन-देन (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 (यथासंशोधित 2016) – चूंकि प्रार्थी के धन से क्रय की गई भूमि को आरोपी जितेन्द्र सहारण की पत्नी श्रीमती स्नेहलता के नाम बेनामी रूप से करवाया गया, जो उक्त अधिनियम के अंतर्गत भी दंडनीय कृत्य है।उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि आरोपीगण की नीयत प्रारंभ से ही बेईमानी की थी तथा उन्होंने एक सुनियोजित आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत प्रार्थी की मेहनत की कमाई को छलपूर्वक हड़पा है। प्रार्थना अतः श्रीमान जी से सविनय प्रार्थना है कि– 1. प्रार्थी की इस शिकायत पर स्वयं संज्ञान लेते हुए आरोपीगण के विरुद्ध अविलंब प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई जाए, अथवा इस शिकायत को श्रीमान पुलिस अधीक्षक (SP), जिला भिवानी, हरियाणा के पास इस निर्देश के साथ सन्दर्भित/मार्क (forward) किया जाए कि वे स्वयं अथवा संबंधित थाना प्रभारी के माध्यम से अविलंब प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विवेचना प्रारंभ करें तथा नियत समयावधि में की गई कार्यवाही से प्रार्थी एवं इस कार्यालय को अवगत कराएं 2. प्रार्थी की इस शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए आरोपी राजकुमार जांगड़ा, अनीता जांगड़ा, युवराज जांगड़ा, जितेन्द्र सहारण एवं स्नेहलता के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318(4), 316(2)/(3), 61(1), 3(5), 351(2)/(3) एवं 238, बेनामी संपत्ति लेन-देन (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अविलंब प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जाए3. आरोपीगण से प्रार्थी की समस्त हड़पी गई राशि, कुल ₹3,43,50,000/- (तीन करोड़ तिरतालीस लाख पचास हजार रुपये मात्र), बरामद कराकर प्रार्थी को वापस दिलाई जाए, अथवा वैकल्पिक रूप से श्रीमती स्नेहलता के नाम बेनामी रूप से करवाई गई 20 किल्ला भूमि को कुर्क/अटैच कर प्रार्थी के पक्ष में हस्तांतरित/रजिस्टर्ड कराई जाए 4. मामले की गहन एवं निष्पक्ष विवेचना कराई जाए तथा आवश्यकतानुसार आरोपीगण की संपत्ति कुर्क/अटैच कराए जाने की कार्यवाही की जाए, जिससे राशि की वसूली सुनिश्चित हो सके 5. आरोपीगण के विरुद्ध विधि के अनुसार कठोरतम दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए 6. आरोपीगण द्वारा दी जा रही जान से मारने की धमकियों के दृष्टिगत प्रार्थी एवं उसके परिवार को समुचित पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए। प्रार्थी उपरोक्त शिकायत के समर्थन में समस्त बैंक रिकॉर्ड, RTGS विवरण, कॉल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट एवं अन्य साक्ष्य विवेचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सर्वदा तत्पर है। दिनांक: 21/7/2026 स्थान: भिवानी, हरियाणा SD ROHTASH शिकायतकर्ता रोहताश कुमार पुत्रः श्री राम कुमार मोबाइलः 91 98105 35668 अज थाना- एक शिकायत नम्बर 318-PD दिनांक 27.07.2026 अजाने शिकायतकर्ता रोहताश पुत्र राम कुमार वासी मकान संख्या 238 सैक्टर 5 पार्ट 6 गुरूग्राम बाद जांच इंचार्ज DIW 04 भिवानी कार्यालय पुलिस अधीक्षक

भिवानी से थाना में प्राप्त हुई दरखास्त व जांच रिपोर्ट से सरेदस्त सुरत जुर्म जैर धारा 406,420,506,120B IPC का सरजद होना पाये जाने पर दरखास्त हजा पर मुकदमा नम्बर 462 दिनांक 05.09.2026 धारा 406,420,506,120B IPC थाना सदर भिवानी दर्ज रजि0 किया जाकर नकल मिशल पुलिस मय असल दरखास्त मय जांच रिपोर्ट बाद कायमी नोट बजरिया डाक आगामी तफ्तीश हेतु निजद IC PP गुजरानी मोड़ भेजी जा रही है । नकुलात FIR की प्रतिया व स्पैशल रिपोर्ट तैयार करके बजरिया डाक ईलाका मैजिस्ट्रैट व अफसरान बाला की सेवा में भेजी जा रही है । यह अभियोग LSI शर्मिला 281 की हाजरी में दर्ज किया जा रहा है ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** DEVENDER SINGH **Rank (पद):** Asst. SI (Assistant Sub-Inspector)

No. (सं.): 40BWN **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Mahavir Singh

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 592RR

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Male					**Is pox pitted:** Yes
2	Female					**Is pox pitted:** Yes
3	Male					**Is pox pitted:** Yes
4	Male					**Is pox pitted:** Yes
5	Female					**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)